

लय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक/स्था/2023/ 265

दिनांक-30/01/2023

Telephone No-01478-221584

E-mail-cjm-pra-rj@hcraj.nic.in

कार्यालय आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक-स्था/19/3632 दिनांक-15/11/2019 तथा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/स्था/2021/ 723 दिनांक-25/11/2021 के क्रम में माह फरवरी-2023 के राजकीय अवकाशों के दिनों में प्रतापगढ़ न्याय-क्षेत्र (संपूर्ण प्रतापगढ़ जिले) के रिमाण्ड,बेल एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु निम्नानुसार मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है।

फरवरी-2023

क्र.सं.	दिनांक	अवकाश	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1	05/02/2023	रविवार	श्री नुकेश भगोरा,(RJS) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोद(राज.)
2	11/02/2023 12/02/2023	द्वितीय शनिवार रविवार	श्री महेश सिंह मीणा,(RJS) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,छोटीसादडी-राज.
3	18/02/2023 19/02/2023	महाशिवरात्रि रविवार	शहनाज खान लौहार(RJS) अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़(राज.)
4	25/02/2023 26/02/2023	चतुर्थ शनिवार रविवार	श्री हिमांशु चावला(RJS) न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़(राज.)

- नोट:- 01. उक्त अवकाश के दिनों में अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट (रिमाण्ड इयूटी मजिस्ट्रेट) समय 11.00 AM से 1.00 PM तक दो घण्टे अपने न्यायालय में बैठकर कार्य संपादित करेंगे। साथ ही उक्त दो घण्टे के दौरान संबंधित न्यायालय के रीडर, स्टेनो, फौजदारी लिपिक व एक सहायक कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिये पाबंद किया जाता है।
02. रिमाण्ड इयूटी दिवस के पूर्व अथवा पश्चात में अवकाश घोषित होने पर संबंधित रिमाण्ड इयूटी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही घोषित अवकाश दिवस को भी रिमाण्ड इयूटी की जावेगी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक- 30/01/2023

क्रमांक/स्था/2023/ 266-276

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ़ (राज.)
- 2- श्री अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ /अरनोद/छोटीसादडी/धरियावद, जिला प्रतापगढ़
- 3- श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
- 4- श्री अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
- 5- श्री न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, प्रतापगढ़ (राज.)
- 6- श्री पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़(राज.)को प्रेषित कर लेख है, कि वे अपने अधीनस्थ समस्त थानाधिकारियों को सूचित करावें, कि वे प्रत्येक अवकाश की दिनांक को 11.00 AM से 1.00 PM के दौरान ही संबंधित रिमाण्ड इयूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके न्यायालय में ही अभियुक्त को रिमाण्ड इत्यादि के लिये पेश किया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, प्रतापगढ़/अरनोद/छोटीसादडी/धरियावद
- 8- आदेश पत्रावली, कार्यालय हाजा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज.)